संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, 1,शिवाजी नगर,भोपाल

क्रमांक:एफ 17/सं.नि./2019/4347 भोपाल,दिनांक 27/05/2019

वरिष्ठ परामर्शी(सीनीयर कंसलटेंट), परामर्शी(एसोसिएट प्रोफेसर), कनिष्ठ परामर्शी(असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं विशेषज्ञ की संविदा नियुक्ति
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12/07/2019

मध्यप्रदेश शासन,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाईयों में वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदो पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उक्त आवेदन पत्र संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल से विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 12/07/2019 (दिन शुक्रवार) तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रू. 500/– (रू. पाँच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रू. 250/– (रू. दो सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफट जो कि संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के नाम से देय होगा, जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 12/07/2019 (दिन शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल 462001 में जमा किए जा सकते हैं। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी उक्त निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी डाक विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा। उक्त निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट WWW.bgtrrd.mp.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(1) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं (जिनमें कमी या वृद्धि हो सकती है) :–

क्र.	संविदा पद	संविदा वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	विषयवार रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4		
1.	वरिष्ठ परामर्शी (सीनीयर कंसलटेंट)	रू 1,07,858/–	**अर्हता:–** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग–2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची–तीन के भाग–2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्ते भी पूरी करने होगी) संबंधित डिसिप्लीन / विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./ एम.एस या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता **और/या** सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच.तथा, मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु /डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	**अनुभव :–** एम.डी./एम.एस की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षो के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 14 वर्षो का अनुभव । **और/या** एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष अर्हता अथप्राप्त करने के पश्चात सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 12 वर्षो का अनुभव ।	मेडिसिन – 01 पीडियाट्रिक्स –01